

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 852—पीबीआर/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-1-2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 6/2016-17/अपील.

.....
महेन्द्रसिंह पुत्र भजसिंह
निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1—सूरज पुत्र प्रेम शर्मा,
- 2—श्रीमती पूजा पुत्री प्रेम शर्मा पत्नी दीपक मुदगल,
निवासीगण नया संतरपुरा ग्वालियर
- 3—इन्द्रिरा पुत्री प्रेम शर्मा पत्नी सुदर्शन
- 4—प्रिया पुत्री प्रेम शर्मा
- 5—श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्वप्रेम शर्मा
निवासीगण 24 बी हरिओम कॉलोनी,
मुरार ग्वालियर
- 6—मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थीगण

.....
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक— अपीलार्थी

श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक—प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 13/9/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 30 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार चीनौर जिला ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1/16-17/अ-3 दर्ज होकर लंबित है। उक्त प्रकरण में उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, अतः प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 25-5-2016 निरस्त करते हुये प्रकरण अन्य समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-1-17 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थी की ओर से बटवारा एवं बटांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा आपत्ति का बिना निराकरण किये प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है जिससे उसके हित प्रभावित हुये हैं और उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उपरोक्त स्थिति अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किये जाने के बाद भी अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा रही है अतः प्रकरण स्थानान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैंकि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण किया जाये। अतः तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा जिन आधारों पर तहसीलदार चीनौर जिला ग्वालियर से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वे आधार तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि दिनांक 25-10-2016 को स्वयं तहसीलदार द्वारा सभी सहकृष्णकों को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं,

अतः अपर आयुक्त द्वारा आयेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-2017 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 855-पीबीआर/2017, अपील प्रकरण क्रमांक 856-पीबीआर/2017 एवं विविध प्रकरण क्रमांक 9062-पीबीआर/2017 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त अपील प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
 अध्यक्ष,
 राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
 ग्वालियर